



राजस्थान - सरकार
शिक्षा - विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान
वेब साईट-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce>
ईमेल-hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2705471

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1308

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

आदेश

निम्नांकित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालयों में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.स.	नाम व्याख्याता (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय		वि.वि.
			कहाँ से	कहाँ पर	
1	संजू गर्ग (RVRES)	संस्कृत	बहरोड	मारवाड जंक्शन	प्रशासनिक
2	सुनिता खुटेटा (RVRES)	गृह विज्ञान	नीमकाथाना कन्या	पीपलू कन्या	
3	गोपाल स्वरूप शर्मा (RVRES)	एबीएसटी	सरदारशहर	सुरतगढ	
4	सौम्या वशिष्ठ (RVRES)	अंग्रेजी	नवलगढ झुन्डुनू	राजलदेसर	प्रशासनिक
5	मंगला शर्मा (RVRES)	हिन्दी	अनुपगढ	सूरतगढ	प्रशासनिक
6	शशिप्रभा सारस्वत (RVRES)	हिन्दी	डीडवाना	लोसल	
7	ओमप्रकाश रूणपाल (RVRES)	व्यावसायिक प्रशासन	नाथद्वारा कन्या	नाथद्वारा	
8	प्रदीप खींचा (RVRES)	व्यावसायिक प्रशासन	नाथद्वारा	नाथद्वारा कन्या	
9	रमेश चन्द्र (RVRES)	राजनीति विज्ञान	खेरवाडा कन्या	झाडोल	
10	गोकुल चन्द्र सैनी (RVRES)	हिन्दी	नीमकाथाना	उदयपुरवाटी	
11	रामकुमार सिंह (RVRES)	अंग्रेजी	बेगू	लक्ष्मणगढ (सीकर)	
12	अनिल कुमार गुप्ता (RVRES)	भौतिक शास्त्र	नीमकाथाना	केकडी	

उक्त में जिनके नाम के सम्मुख प्रशासनिक अंकित है, को नियमानुसार योगकाल एवं यात्राभत्ता देय होगा। जिन जिलो में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है, उनमें उक्त आदेश आचार संहिता समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगे।

(संदेश नायक)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2021/1308

दिनांक: 13 अगस्त, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर को उनकी अ.शा.टीप.संख्या :रा. म./उ.शि./2021/2553, 2556, 2558, 2658, 2659 दिनांक 10.08.2021, एवं दिनांक 12.08.2021 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को अविलम्ब पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिन जिलो में चुनाव आचारसंहिता लागू है वे आचारसंहिता का पालना सुनिश्चित करे एवं जिन महाविद्यालयों में शून्य की स्थिति बनती है वहाँ आयुक्तालय की अनुमति के बिना कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
6. सम्बन्धित व्याख्याता को पालनार्थ।
7. वेबसाईट प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

(संदेश नायक)

संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर